

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- ९१ / 2023

तारीखरजू:- 24/7/23

उनवान:- टीकाराम बनाम चैनसिंह वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
24/7/23	<p>प्रार्थी की ओर से श्री हसराम गूर्जर एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
11-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थीगण के नोटिस लम्बी डील प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुतः काग्रेस आदेश दिनांक 31-9-23 को पेश है।</p>
21/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 23.10.23 को पेश हो।</p>
23/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। टीकाराम अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश है। गतानुसार दिनांक 19.12.23 को पेश हो।</p>
19/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं 1, 2 की ओर से जी मनोज कुमार शर्मा एड0 ने भीमो पेश किया। जो शामिल रहे। वास्ते लखी अप्रार्थी नं 3 व जबाब व वनाबतनाक पेश करने दिनांक 9.1.24 को पेश है।</p>

3056-58
24/7/23



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम सि

दिनांक	फर्द अहकाम
19-11-24	पत्रावली पेश हुई। गैरलफ्ट नं 3 के वकील ने जवाब पेश किया। और शाहील फावली रहे। वाले वरत दिनांक 13-12-24 को पेश है।
13-12-24	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रयगत रखा गया है। गतानुसार दिनांक 24-11-24 को पेश हो।
24-1-25	फावली पेश हुई। वकील उमरपक्षकारान उरत वाले वरत दिनांक 6-3-25 को पेश है।
6-3-25	माफी मकील/वकील उमरपक्षकारान उरत पत्रावली गतानुसार दिनांक 7-4-25 को पेश हो।
7/4/25	फावली पेश हुई, उमरपक्षकारान वकील उरत प्राणी वकील ने कथन किया कि प्राणी इस प्राणीना पत्रावली निवेदावली को आगे नही चलाया-चाहता है। इसलिए वला नोट प्रेस खरीज किया जावे। प्राणी वकील ने निवेदन पर फावली का जवाब दिया, फावली में शामिल दस्तावेजों तथा आदेशों का अपलोड किया फावली में शामिल आदेशों में प्राणी वकील द्वारा दिनांक 11-1-25 को प्राणीना पत्रावली नोट प्रेस करने की सधमति देना है। आदेशों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं तथा प्राणी वकील द्वारा प्राणीना पत्रावली निवेदावली के संवध में कोई काकलर ब्लेग किया हुआ नही-चाह गया है। इसलिए प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्राणीना पत्रावली निवेदावली प्राणी वकील के निवेदावली पर सधमति दिये जाते से नोट प्रेस खरीज किया जावे। निवेदावली आदेशों को खुले आयालय में प्रेषित जाकर अनुसूचित फावली फाइल नुमा नम्बर के फावली दाखिल करवा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
7.4.25	<p>मु0न0:-71/2023 उनवान:- टीकाराम बनाम चैनसिंह वगै0</p> <p>पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान वकील उपस्थित, प्रार्थी वकील ने कथन किया कि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहता है इसलिये दावा नोट प्रेस कर दिया जावे। प्रार्थी वकील के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में शामिल दस्तावेजो तथा आदेशिका का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल आदेशिका में प्रार्थी वकील द्वारा दिनांक 11.09.2024 को ही प्रार्थना पत्र नोट प्रेस करने की सहमति देते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये हुये है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबध में कोई काउन्टर क्लेम अथवा अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी वकील के निवेदन पर सहमति दिये जाने से नोट प्रेस खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Pis</i></p>	